

## प्रेस नोट दिनांक- 25.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000रु0 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000रु0 के इनामी अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24/25.02.2021 की रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर वांछित अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी । इसी क्रम में थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गस्त की जा रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली की थाना कोतवाली इटावा के मु0अ0स0 300/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त आज चकरनगर मार्ग से मध्यप्रदेश जाने की फिराक में है, मुखबिर की इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा लखना तिराहा चकरनगर रोड पर बैरियर लगा कर सघन वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई इसी दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसके संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने का प्रयास किया तो व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसका पीछा कर पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 जुम्मन पुत्र मो0 रशीद नि0 काशीराम कालोनी ब्लॉक नंबर 12 मकान नंबर 138 नई तहसील के सामने कचैरा रोड थाना जसवन्तनगर

जो कि थाना कोतवाली के मु०अ०स० 300/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त है।  
उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु०अ०स० 84/21 धारा 4/25 आम्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मो० जुम्मन पुत्र मो० रशीद नि० काशीराम कालोनी ब्लॉक नंबर 12 मकान नंबर 138 नई तहसील के सामने कचैरा रोड थाना जसवन्तनगर जिला इटावा।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 167/20 धारा 3/5/8 गौ०व०अधि० व धारा 269/270 भादवि० 39/51/9 व०जी०(संरक्षण) अधि० थाना कोतवाली इटावा
2. मु०अ०स० 168/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली इटावा
3. मु०अ०स० 215/20 धारा 3/5/8 गौ०व० अधि० व धारा 269/270/429 भादवि० व 51/57 आ०प्र०अधि० व धारा 03 मा०अधि० थाना सिविल लाइन इटावा
4. मु०अ०स० 300/2020 धारा 3(1) गैंग स्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
5. मु०अ०स० 84/2021 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा

### पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह, उ०नि० चिन्तन कौशिक, का० ललित कुमार, का० रमन कुमार ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा ।